

कार्यालय कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा

// निरस्तीकरण आदेश //

क्रमांक 1355 / डीएमएफ / ईओआई / 2020-21

दंतेवाड़ा दिनांक 13 / 11 / 2020

जिला खनिज न्यास निधि (डीएमएफ) नियम 2019 उच्च प्राथमिकता के अंतर्गत कार्पोरेट, मार्केटिंग, फुड प्रोसेसिंग, आर्किटेक्ट, सामाजिक अंकेक्षण एवं गरीबी उन्मूलन विषयों पर आगामी पांच वर्षों के लिए मास्टर प्लान एवं विजन डॉक्यूमेंट हेतु अनुभवी पंजीकृत गैर सरकारी संस्थानों, फर्म/कंपनियों से "रूचि की अभिव्यक्ति" निविदा हेतु कार्यालयीन विज्ञापन क्रमांक/4878 दिनांक 09.10.2020 एवं क्रमांक 5232 दिनांक 31.10.2020 के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत "रूचि की अभिव्यक्ति" में किसी भी निविदाकार के पात्र नहीं पाये जाने के कारण उक्त कार्य के निविदा को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।



कलेक्टर

जिला दक्षिण बस्तर

दंतेवाड़ा

दंतेवाड़ा दिनांक 13 / 11 / 2020

पृ. क्रमांक 1356 / डीएमएफ / ईओआई / 2020-21

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दंतेवाड़ा को सूचनार्थ ।
2. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन आई सी जिला दंतेवाड़ा की ओर जिला पोर्टल पर तत्काल अपलोड करने हेतु अग्रेषित ।
3. जिला जनसंपर्क अधिकारी, जिला दंतेवाड़ा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ अग्रेषित ।
4. जिला कार्यालय / जिला पंचायत दंतेवाड़ा के सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु ।



कलेक्टर

जिला दक्षिण बस्तर

दंतेवाड़ा